COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE 5 Rs. पाँच FIVE

COURT FEE 1 Re. भारत एक ONE

COURT FEE 1 Re. भारत एक रुपया ONE RUPEE

COURT FEE 1 Re. भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

171

5/13-[illegible]

નકલ [illegible] ની તારીખ	નકલ તૈયારી ની તારીખ	નકલ આપી દીધે ની તારીખ	નકલ માટે [illegible]
27.5.12	28.5.12	28.5.12	સહી [illegible] 28.5.12

નકલ [illegible] 25.5.12 ના રોજ [illegible]
[illegible] 52 [illegible] 143ZAA
[illegible]
[illegible] કુંવરબેન ચંદુભાઈ [illegible]
દ્વારા [illegible] શ્રી સુરેન્દ્ર [illegible] તા. [illegible] 25.5.12

નકલ [illegible] સહી

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

न्यायालय उप जिलाधिकारी सोहावल–फैजाबाद।

वाद सं0:– 52

अन्तर्गत धारा–143 जेड0 ए0 ऐक्ट
ग्राम–मुमताजनगर,परगना–मंगलसी
तहसील–सोहावल, जिला–फैजाबाद।

कुँवरि चन्द्रावती कालेज आफ एजूकेशन द्वारा प्रबंधक श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह

बनाम

गॉव सभा आदि

–:निर्णयः–

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रबंधक, कुँवरि चन्द्रावती महाविद्यालय मुमताजनगर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि भूमि गाटा संख्या–368/0.227हे0 स्थित ग्राम मुमताजनगर परगना परगना मंगलसी, तहसील सोहावल जिला फैजाबाद का वह संक्रमणीय भूमिधर हैं। उक्त भूमि का प्रयोग कृषि प्रयोजन हेतु नहीं हो रहा है। अतएव उक्त उक्त भूखण्ड को धारा–143 जेड0ए0एक्ट के अंतर्गत अकृषिक घोषित कर दिया जाय।

पत्रावली तहसीलदार सोंहावल को जॉच हेतु प्रेषित की गयी। तहसीलदार द्वारा नियम–135 ए पर आख्या प्रेषित की गयी, जिसमें यह कहा गया कि गाटा संख्या–368मि0/0.170 हे0 ग्राम मुमताजनगर परगना मंगलसी तहसील सोहावल जिला फैजाबाद खतौनी वर्ष 1418–1423फ0 के खाता संसख्या–289 पर कुँवरि चन्द्रावती कालेज आफ एजूकेशन द्वारा प्रबंधक सुरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0 बृजमोहन सिंह नि0 रायपुर द्वारा संचालित कुँवरि चन्द्रावती शिक्षण संस्थान मुमताजनगर के नाम संकमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त भूखण्ड पर कृषि कार्य नही होता है। अपितु गैर कृषि प्रयोजन में लायी जाती है। विद्यालय भवन निर्माणाधीन है। अकृषिक घोषित करने की संस्तुति की गयी है।

जॉच आख्या प्राप्त होने पर ग्रामसभा/शासकीय अधिवक्ता को नोटिस भेजी गयी, जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। किसी भी तरफ से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध उद्धरण खतौनी, तहसीलदार की आख्या, नजरी नक्शा, छायाप्रति बैनामा दस्तावेज आदि का अवलोकन किया। आवेदक उपरोक्त संदर्भित गाटे का संकणीय भूमिधर है। उ0 प्र0 ज0 वि0 अधि0 की धारा–143 मे यह व्यवस्था दी गयी है कि कोई खातेदार अपनी भूमि व उसके किसी भाग का प्रयोग कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजन में उपयोग कर रहा है, तो उतने अंश को अकृषिक प्रयोजन हेतु प्रख्यापित कर दिया जाय। तहसीलदार की आख्या से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूखण्ड का प्रयोग गैर कृषिक प्रयोजन के रूप में हो रहा है। कृषि कार्य नहीं हो रहा है। कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सोहावल फैजाबाद की संस्तुति आख्या के आधार पर प्रश्नगत भूखण्ड को गैर कृषिक प्रयोजन हेतु प्रख्यापित किए जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि ग्राम मुमताजनगर, परगना मंगलसी, तहसील सोहावल जिला फैजाबाद की खतौनी सन् 1418–1423 फ0 के खाता सं0–289 पर अंकित गाटा सं0–368मि0/0.170 हे0 को गैर कृषि प्रयोजन हेतु प्रख्यापित किया जाता है। नियम–136 के अनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो तथा उसकी एक प्रति सम्बन्धित उप निबन्धक को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

दिनांकः

25-4-12

(के0के0द्विवेदी)
उप जिलाधिकारी,
सोहावल–फैजाबाद।

सत्य प्रतिलिपि
अहलमद/पेशकार
सोहावल फैजाबाद

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com